RFNo.1474
9-7-2012

- \\65 -E New Shortcut Rajkumar\Rajkumar\ALLOTEMENT-II..doc

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

21/6/12

क्रमांकः एफ.2(1)साप्र/2/2012 जयपुर, दिनांक 21 JUN 2012

–: आदेश :–

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतदद्वारा आवंटित किये जाते हैं :–

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवंटित/ परिवर्तित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1.	33/2011	श्री पदमचन्द मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर	II/23 गांधीनगर (एम–14 गांधीनगर के स्थान पर)	30.11.2029
2.	34/2011	श्री सुनील कुमार सोनी वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त (आबकारी) वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	II/10, गांधीनगर	28.2.2030
3.	37/2011	श्रीमती शिल्पी कौशिक वरिष्ठ लेखाधिकारी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवायें, (आई.ई.सी) जयपुर	II/44, गांधीनगर	30.6.2031
4.	39/2011	श्री एम. एल. वर्मा अधीक्षण अभियन्ता, एसएस सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	एम–11, गांधीनगर	30.9.2019
5.	14/2012	श्री सी.एस. मेहता अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग, जयपुर	504 पंचम तल मॉडल टाउन मालवीयनगर	31.7.2014
6.	15/2012	श्री सीताराम मीणा उप निदेशक कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) वित्त भवन, जयपुर	704 सप्तम तल मॉडल टाउन मालवीयनगर	28.2.2018

Ok(web.)
A
9-7-12

शर्तें:–

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकी आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्ज लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।

9. कम संख्या 5 व 6 पर अंकित अधिकारियों से "कॉमन सुविधा" शुल्क राशि रुपये 300/– (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा करायेगें।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, वित्त (जीएफएण्डआर) विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, (परिवार कल्याण) आई.ई.सी., जयपुर।
8. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) वित्त भवन, जयपुर।
10. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
11. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
13. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर/मालवीयनगर, जयपुर।
14. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
15. समस्त संबंधित अधिकारीगण।
16. निदेशक, उद्यान विंग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
17. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/मालवीयनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्ते संख्या–8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
18. शासन सहायक सचिव (नोडल अधिकारी) सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
19. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
20. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग।
21. रक्षित पत्रावली।

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव